राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक प.169/मुसप्र/मुद्रांक शुल्क/2015/265 दिनांक:- 8-6-2015

आदेश

मण्डल के पूर्व कार्यालय आदेश क्रमांक प.169/मुसप्र/मुद्रांक शुल्क/2011/1082 दिनांक 06.07.2011 के द्वारा राजस्थान सरकार के वित्त (कर) विभाग की अधिसूचना जयपुर दिनांक 31.05.2011 के द्वारा आदेशित किया गया था कि राजस्थान आवासन मण्डल के स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस) के तहत मूल आवंटी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड पर निर्मित भवन (भूमि को छोडकर) के संबंध में मण्डल द्वारा निष्पादित कन्वेन्स डीड मूल आवंटी के पक्ष में पंजीकृत होने पर ऐसे कन्वेन्स डीड पर स्टाम्प डयूटी का परिहार इस शर्त पर किया जायेगा कि भूमि के संबंध में जारी परपेचुअल लीज डीड पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है अर्थात स्ववित्त पौषित योजना के अन्तर्गत आवंटित आवासों का हस्तान्तरण (परपेचुअल डीड) मूल आवंटी के पक्ष में जारी किये जाने पर केवल भूखण्ड के हस्तान्तरण (परपेचुअल डीड) का पंजीयन ही पर्याप्त होगा। इसमें भूखण्ड पर बने भवन की लागत को वास्तविक प्रतिफल में शामिल नहीं किया जावेगा। यह भी सूचना दिनांक 28.03.1999 से प्रभावी होगी परन्तु किसी भी मामले में अदा की जा चुकी स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क का प्रतिदाय नहीं होगा। अधिसूचना के अनुरूप स्ववित्त पौषित योजना में आवंटित आवासों के पंजीयन हेतु मूल आवंटी के पक्ष में परपेचुअल डीड जारी किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

मण्डल द्वारा जारी कार्यालय आदेश दिनांक 06.07.2011 में संशोधन करते हुए निर्देशित किया जाता है, कि राज्य सरकार के वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 31.05.2011 के अनुरूप स्ववित्त पौषित योजना में आवंटित आवास/फ्लेट्स के पंजीयन हेतु मूल आवंटी के पक्ष में डीड निम्नानुसार जारी की जावें :-

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 अधिनियम संख्या 14) की धारा-9 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान आवासन मण्डल की स्ववित्त पोषित योजना (एस.एफ.एस.) के तहत मूल आवंटी के पक्ष में आवंटित भूखण्ड पर निर्मित भवन (भूमि को छोड़कर) के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा निष्पादित कन्वेन्स डीड मूल आंवटी के पक्ष में पंजीकृत होने पर ऐसी कन्वेन्स डीड पर देय स्टाम्प ड्यूटी का परिहार (छूट) इस शर्त पर किया जावेगा कि भूमि के संबंध में जारी परपेच्युअल लीज डीड पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान कर दिया गया है।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

Sd/-
(आनन्द कुमार)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव, आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. निजी सहायक, सचिव/वित्तीय सलाहकार/मुख्य अभियन्ता(मु0), प्रथम /द्वितीय/ निदेशक(विधि)/मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (मु0)/प्रथम/द्वितीय,/पी.एण्ड.एम/अति0 मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. उप आवासन आयुक्त वृत्त..............राजस्थान आवासन मण्डल, ...।
6. आवासीय अभियन्ता खण्ड.............. राजस्थान आवासन मण्डल................।
7. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड़ व सभी को मेल करें।
8. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र (मु) राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

मुख्य सम्पदा प्रबंधक

pc 1 D:\desktop newly\Office Work/Office letter-2